न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
जिला – सवाई माधोपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मिनाक्षी अमित चौधरी, RJS
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 247/2020
(सी.आई.एस. नंबर 247/2020)

गिर्राज पुत्र सुरजन निवासी खानपुर बडौदा थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर **––परिवादी**

बनाम

साबिर पुत्र दुलारे निवासी भगवती स्कूल के सामने, बन्दरिया का बालाजी रोड, उदेई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर **––अभियुक्त**

<u>अपराध अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट</u>

उपस्थितः–

1. परिवादी की ओर से	अधिवक्ता श्री सत्यभान सिंह
2. अभियुक्त की ओर से	अधिवक्ता श्री संतोष वर्मा

निर्णय **दिनांकः 11.06.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि परिवादी ने न्यायालय हाजा में विपक्षी के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी व अभियुक्त में पुरानी जानकारी है। अभियुक्त के पिता भी परिवादी के पिता के पुराने जानकार हैं, अभियुक्त को अपने कपडों के व्यवसाय हेतू रूपयों की आवश्यकता थी इसलिये उसने परिवादी से अप्रेल 2018 के प्रथम सप्ताह मे 3,00,000/–रूपये नकद उधार मांगे परिवादी ने अभियुक्त को दिनांक 15–4–18 को अपने घर पर 3,00,000/– रूपये नकद उधार दे दिये। इस लेन देन की लिखा पढी प्रोमेसरी नोट पर कर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को संभला दिया। प्रोमेसरी नोट को परिवादी के पुत्र मनीष ने लिखा था। अभियुक्त ने 6 माह में डेढ रूपये सैकडा माहवार की दर से उक्त ऋण वापस लौटाने का करार किया। नियत 6 माह की अवधि गुजरने पर परिवादी ने अभियुक्त से तकादा किया तो अभियुक्त ने कहा कि अभी उसके व्यापार की उधारी का रूपया वापस नहीं आया है वह अगले 3 माह मे पूरा रूपया ब्याज सहित वापस लौटा देगा। अभियुक्त अपने पिता के साथ दिनांक 19–1–2019 को परिवादी के घर आया और अपने कपडों के व्यापार में जरूरत बताकर 4,00,000/–रूपये उधार मांगे। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त व उसके पिता पर विश्वास करते हुए दिनांक 26–1–19 को अभियुक्त को चार लाख रूपये नकद उधार दे दिए और लेन देन की लिखा पढी प्रोमेसरी नोट पर कर अभियुक्त ने अपने

हस्ताक्षर कर परिवादी को दे दिया। प्रोमेसरी नोट पर लिखा पढी धर्मराज पुत्र पन्ना ने लेन देन की लिखावट की। अभियुक्त ने यह रूपया भी 6 माह में अदा करने का करार किया। परिवादी ने अभियुक्त व उसके पिता से अपने 7,00,000/–रूपये अक्षरे सात लाख रूपये मय ब्याज का सख्ती से तकादा किया तो अभियुक्त ने ऋण की अदायगी पेटे 15 दिसम्बर 2019 को दो चैक आईसीआईसीआई बैंक के दिनांक 26–1–20 व दिनांक 12–2–2020 शाखा गंगापुर सिटी के दिये इनमे से चैक संख्या 058962 रूपये 3,00,000/–रूपये का एवं चैक संख्या 058964 रूपये 4,00,000/–रूपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दे दिया और कहा कि इन दिनांकों के आस पास रूपया आएगा तुम इन चैकों को लगाकर अपना पूरा रूपया प्राप्त कर लेना और ब्याज की अदायगी अलग से 20 दिन में कर दूँगा। अभियुक्त ने ब्याज की अदायगी नहीं की इस पर उसने दिनांक 19–2–20 को दोनों चैक अपने खाते में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया लेकिन अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने से दोनों चैक अनादरित हो गए। चैक्स अनादरण की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक अभियुक्त के सही पते पर दिनांक 29–2–20 को भिजवायी जो दिनांक 11–3–20 को सम्पूर्ण लिफाफा मय नोटिस वापस लौट आया उस पर पोस्टमैन की टिप्पणी थी "ताला बंद मिला " और अभियुक्त को नोटिस की सूचना हो गई । अंत में चैकों के अनादरण के लिए अभियुक्त को दण्डित फरमाये जाने एवं अभियुक्त से चैकों की राशि सात लाख रूपये का मय प्रतिकर भुगतान करवाया जाने का निवेदन किया तथा परिवादी की ओर से स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया।

2. परिवाद के समर्थन में परिवादी गिर्राज ने स्वयं का जांच साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रोमेसरी नोट, असल चैक, रिटर्न मेमो, नोटिस की प्रति, डाक रसीद, असल रिटर्न लिफाफा आदि प्रस्तुत किये।

3. न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पत्र, परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत पेश शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावेज़ात के आधार पर **विपक्षी साबिर** के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दिनांक 01.07.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा मुकदमा नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 09.11.2020 को अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए परिवादी की ओर से साक्ष्य परिवादी में **गिर्राज** स्वयं पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ तथा दस्तावेज़ी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम
1	प्रदर्श पी–1	प्रोमेशरी नोट दिनांकित 15.04.2018
2	प्रदर्श पी–2	प्रोमेशरी नोट दिनांकित 26.01.2019
3	प्रदर्श पी–3	मूल चैक संख्या 058962
4	प्रदर्श पी–4	मूल चैक संख्या 058964
5	प्रदर्श पी–5 व 6	रिटर्न मीमो
6	प्रदर्श पी–7	नोटिस
7	प्रदर्श पी–8	पोस्टल रसीद
8	प्रदर्श पी–9	असल लिफाफा

5. तत्पश्चात् दिनांक 10.08.2024 को अभियुक्त साबिर का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य में स्वयं साबिर को डी.ड. 1 के रूप में परीक्षित करवाया।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन रहा है कि अभियुक्त ने स्वयं के जिम्मे बकाया राशि की अदायगी हेतु चैक्स दिया था, जो कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से भुगतान नहीं हुआ तथा बावजूद नोटिस अभियुक्त ने अदायगी नहीं की है। परिवादी की साक्ष्य से परिवाद में वर्णित सभी तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं, इत्यादि कथन करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने लिखित बहस पेश कर मौखिक तर्क रखा कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण परिवाद अविश्वसनीय, विरोधाभासी एवं ठोस साक्ष्यों से रहित है। परिवादी ने विपक्षी को कपड़े की दुकान खोलने हेतु ऋण देना बताया, जबकि स्वयं उसकी जिरह से स्पष्ट है कि विपक्षी न्यायालय के सामने पंचर सुधारने का कार्य करने वाला साधारण व्यक्ति है तथा कथित कपड़े की दुकान के संबंध में कोई किरायानामा, फोटो, बिल, पंजीयन, दुकान मालिक अथवा अन्य स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। परिवादी ने विपक्षी के पिता की गारंटी पर ऋण देना बताया, किंतु उन्हें न तो गवाह बनाया और न ही कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया।

परिवादी के कथनों में ऋण देने की तिथि, राशि, स्रोत, प्रोनोट एवं चेक भरने वाले व्यक्तियों तथा तकादे की अवधि के संबंध में गंभीर विरोधाभास हैं। प्रथम ऋण के लिए धनराशि का स्रोत खेती, दूध, चना बिक्री एवं पुत्र के पैसे बताया गया, किंतु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज या गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वितीय ऋण के संबंध में भी जीपीएफ से राशि निकालने का उल्लेख परिवाद एवं नोटिस में नहीं किया गया तथा नोटों के संबंध में दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से असंभव हैं। परिवादी ने कथित ऋण का कोई स्वतंत्र साक्ष्य, आयकर अभिलेख या विश्वसनीय दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। परिवादी ने लोन दिलाने के बहाने उससे हस्ताक्षरयुक्त खाली चैक्स एवं प्रोनोट प्राप्त कर लिए तथा उनका दुरुपयोग कर झूठा परिवाद प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त परिवादी स्वयं स्वीकार करता है कि कानूनी नोटिस विपक्षी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में परिवादी अपने कथित ऋण लेनदेन को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर भी सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. **उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।**

10. **प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–**

1. क्या अभियुक्त साबिर ने परिवादी गिर्राज को वसूल योग्य ऋण मुताबिक प्रोमेशरी नोट दिनांकित दिनांकित 15.04.2018 व 26.01.2019 की अदायगी पेटे आईसीआईसीआई बैंक शाखा गंगापुरसिटी के चैक संख्या 058962 रूपये 3,00,000/–रूपये दिनांक 26.1.2020 का एवं चैक संख्या 058964 रूपये 4,00,000/–रूपये दिनांक 12.2.2020 का दिया जो परिवादी के द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि ना होने के आक्षेप के साथ अनादरित हो गया। जिस पर चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने के लिए विधिक सूचना पत्र दिनांक 19.02.2020 को भिजवाया गया, जिसकी सूचना अभियुक्त को होने के 15 दिवस के भीतर चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा विहित अवधि में परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया?

2. यदि हां तो इसके लिए क्या दण्ड होगा?

11. इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी व अभियुक्त के अधिवक्तागण द्वारा चैक व प्रोमेसरी नोट अभियुक्त द्वारा परिवादी को देने, चैक व प्रोमेसरी नोट पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने,

परिवादी द्वारा चैक को विहित अवधि के दौरान समाशोधन हेतु पेश करने, चैक्स के "**खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने**" के रिमार्क के कारण अनादरित हो जाने तथा परिवादी द्वारा विधि द्वारा विहित समयावधि में नोटिस प्रेषित किये जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं किये गये। अतः उक्त तथ्यों के संबंध में प्रकरण में विवेचन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

12. **विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं का अवधारण किया जाना हैः–**

(i) **क्या प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया था?**

उक्त विचारणीय बिंदू को साबित करने का भार परिवादी पर था। उक्त बिंदू के समर्थन में परिवादी द्वारा अपने परिवाद एवं अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में कथन किया है कि उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29.02.2020 को अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया था, जो पोस्टमेन ने नोटिस के लिफाफे पर "ताला बंद मिला'' के पृष्ठांकन के साथ वापस परिवादी को दिनांक 11.03.2020 को लौटा दिया। परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी ने परिवाद अभियुक्त ''साबिर पुत्र दुलारे निवासी भगवती स्कूल के सामने, बन्दरिया का बालाजी रोड, उदेई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर'' के विरूद्ध पेश किया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त को उक्त पते पर ही नोटिस प्रेषित किया गया है, जिस संबंध में प्रदर्श पी 7, सूचना पत्र व प्रदर्श पी 9 रिटर्न लिफाफा पेश किया है। अभियुक्त ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। नोटिस प्रदर्श पी–7 पर जो पता लिखा है वह उसका ही है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस प्रदर्श पी–7 परिवाद पर अंकित पते पर ही प्रेषित किया गया है, जिस संबंध में परिवादी ने डाक रसीद प्रदर्श पी–8 भी पेश की है। इस प्रकार यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्त परिवाद पर अंकित पते पर ही निवास करता था एवं उसी पते पर उसे नोटिस भी प्रेषित किया गया था। परिवादी की ओर से प्रेषित नोटिस प्रदर्श पी 7 की तामील अभियुक्त को नहीं हो पाई थी तथा जिस कारण उक्त नोटिस मय लिफाफा पुनः परिवादी को लौटा दिया गया था, जो प्रदर्श पी 9 है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **N Paraeswaran Unni V. G. Kannan & Anr. AIR 2017 SC 1681** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः-

When a notice is sent by registered post and is returned with postal endorsement 'refused'/'not available in the house'/'house locked & shop closed' or

'addressee' not in station, due service has to be proved.

अगर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अन्तिम उठाए गए कथनों को तर्क के तौर पर मान भी लिया जाए कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्न न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

C.C. Alavi Haji V. Palapetty Muhammed, AIR 2007 SC 1705

Held: Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can, within, 15 days of receipt of summons from the court in respect of complaint under section 138 of the Act, make payment of the cheque amount and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the Court, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under section 27 of the General Clauses Act and section 114 of The Evidence Act.

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति के पश्चात परिवादी को 15 दिवस के भीतर कोई राशि अदा नहीं की गयी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय दौराने बहस यह कथन किया गया है कि अभियुक्त को नोटिस नहीं मिला था, परंतु परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस प्रेषित किये जाने के संबंध में प्रदर्श पी–8 डाक रसीद पेश की गयी है, जिस सन्दर्भ में धारा 27 सामान्य खण्ड अधिनियम व धारा 114 खण्ड एफ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपधारणा सृजित होती है कि नोटिस की सूचना अभियुक्त को प्राप्त हो गयी थी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त को परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया नोटिस प्राप्त हो जाना प्रकट होता है।

(ii) क्या प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त को राशि उधार दी गई थी जिसकी विधिक दायित्व अदायगी बाबत अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में प्रश्नगत चैक्स जारी किये गये थे?

न्यायालय समक्ष विचारणीय उक्त बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर था, जिस संबंध में परिवादी ने अपने परिवाद, जांच साक्ष्य 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य के शपथ पत्र में कथन किये है कि परिवादी व अभियुक्त में पुरानी जानकारी है। अभियुक्त के पिता भी परिवादी के

पिता के पुराने जानकार हैं अभियुक्त को अपने कपडों के व्यवसाय हेतू रूपयों की आवश्यकता थी इसलिये उसने परिवादी से अप्रेल 2018 के प्रथम सप्ताह मे 3,00,000/–रूपये नकद उधार मांगे परिवादी ने अभियुक्त को दिनांक 15–4–18 को अपने घर पर 3,00,000/– रूपये नकद उधार दे दिये। इस लेन देन की लिखा पढी प्रोमेसरी नोट पर कर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को संभला दिया। प्रोमेसरी नोट को परिवादी के पुत्र मनीष ने लिखा था। अभियुक्त ने 6 माह में डेढ रूपये सैकडा माहवार की दर से उक्त ऋण वापस लौटाने का करार किया। नियत 6 माह की अवधि गुजरने पर परिवादी ने अभियुक्त से तकादा किया तो अभियुक्त ने कहा कि अभी उसके व्यापार की उधारी का रूपया वापस नहीं आया है वह अगले 3 माह मे पूरा रूपया ब्याज सहित वापस लौटा देगा। अभियुक्त अपने पिता के साथ दिनांक 19–1–2019 को परिवादी के घर आया और अपने कपडों के व्यापार में जरूरत बताकर 4,00,000/–रूपये उधार मांगे। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त व उसके पिता पर विश्वास करते हुए दिनांक 26–1–19 को अभियुक्त को चार लाख रूपये नकद उधार दे दिए और लेन देन की लिखा पढी प्रोमेसरी नोट पर कर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दे दिया। प्रोमेसरी नोट पर लिखा पढी धर्मराज पुत्र पन्ना ने लेन देन की लिखावट की। अभियुक्त ने यह रूपया भी 6 माह में अदा करने का करार किया। परिवादी ने अभियुक्त व उसके पिता से अपने 7,00,000/–रूपये अक्षरे सात लाख रूपये मय ब्याज का सख्ती से तकादा किया तो अभियुक्त ने ऋण की अदायगी पेटे 15 दिसम्बर 2019 को दो चैक आईसीआईसीआई बैंक के दिनांक 26–1–20 व दिनांक 12–2–2020 शाखा गंगापुर सिटी के दिये इनमे से चैक संख्या 058962 रूपये 3,00,000/–रूपये का एवं चैक संख्या 058964 रूपये 4,00,000/–रूपये का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दे दिया और कहा कि इन दिनांकों के आस पास रूपया आएगा तुम इन चैकों को लगाकर अपना पूरा रूपया प्राप्त कर लेना और ब्याज की अदायगी अलग से 20 दिन में कर दूँगा। अभियुक्त ने ब्याज की अदायगी नहीं की इस पर उसने दिनांक 19–2–20 को दोनों चैक अपने खाते में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी में प्रस्तुत किया लेकिन अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने से दोनों चैक अनादरित हो गए। चैक्स अनादरण की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक अभियुक्त के सही पते पर दिनांक 29–2–20 को भिजवायी जो दिनांक 11–3–20 को सम्पूर्ण लिफाफा मय नोटिस वापस लौट आया उस पर पोस्टमैन की टिप्पणी थी "ताला बंद मिला " और अभियुक्त को नोटिस की सूचना हो गई। फिर भी अभियुक्त द्वारा राशि अदायगी नहीं की। इस संबंध में परिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 प्रोमेशरी नोट दिनांकित 15.04.2018, प्रदर्श पी–2 प्रोमेशरी नोट दिनांकित 26.01.2019, प्रदर्श पी–3 मूल चैक संख्या 058962, प्रदर्श पी–4 मूल चैक संख्या 058964,

प्रदर्श पी–5 व 6 रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी–7 नोटिस, प्रदर्श पी–8 पोस्टल रसीद, प्रदर्श पी–9 असल लिफाफा प्रदर्शित करवाये गये।

परिवादी ने दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि साबिर कोर्ट के सामने साइकिल पंचर वगैरह सुधारने की दुकान करता है, इसलिए वह उसे जानता है। साबिर को वह 8–10 साल से जानता है। गवाह ने कथन किया है कि अप्रेल माह में अभियुक्त दिनांक 15.04.2018 को पहली बार अकेला आया था व दूसरी बार अपने पिताजी के साथ दिनांक 19.01.2019 को आया था। अभियुक्त ने घर आकर कहा था कि सिंधी कॉलोनी में वह कपडे की दुकान खोल रहा है, जिस कारण उसे तीन लाख रूपए उधार चाहिए। जिस पर उसे तीन लाख रूपए घर पर ही दे दिये थे, जो कि उसके खेती के व भैंस के दूध के तथा नौकरी के थे। कृषि में 1,80,000/– रूपए के चने बेचे थे, बच्चे के 1,20,000/– रूपए रखे थे, जो उसने साबिर को दे दिये। तीन लाख रूपए के सारे नोट 500 और 100 के थे। साबिर के अलावा उसने किसी और को रूपए उधार नहीं दिये। रूपये देते समय उसकी पत्नी, उसकी पुत्री व पुत्र घर पर ही थे। दूसरी बार अभियुक्त अपने पिता को साथ लेकर आया था, उस समय उसका भतीजा धर्मराज घर पर ही था। अभियुक्त मोटरसाइकिल से अपने पिता को लेकर उसके घर आया था। चार लाख रूपए उसने जीपीएफ बीमा से निकालकर दिये थे। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से आई साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट है कि गवाह डी.ड. 1 साबिर ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि चैक प्रदर्श पी–3 व 4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रोमेशरी नोट प्रदर्श पी–1 व 2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। स्वयं कहा कि उसने चैक व प्रोमेशरी नोट खाली दिये थे।

इस प्रकार पक्षकारान की ओर से आई उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को प्रथम बार तीन लाख रूपए उधार दिये जाने का कथन किया है व दूसरी बार चार लाख रूपए उधार दिये जाने का कथन किया है। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि उक्त राशि उसने अभियुक्त को कपडे का व्यापार करने के लिए उधार दी थी। अभियुक्त ने उक्त दुकान सिंधी कॉलोनी में खोलना बताया था। परिवादी ने कथन किया है कि उक्त राशि की अदायगी के संबंध में अभियुक्त ने प्रोमेशरी नोट व चैक्स दिये थे। इस संबंध में अभियुक्त की साक्ष्य के अवलोकन से भी यह प्रकट है कि अभियुक्त ने अपनी साक्ष्य में प्रोमेशरी नोट व प्रासंगिक चैक्स पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व उक्त दस्तावेज परिवादी को देना स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत चैक्स अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में विधिक दायित्व की अदायगी पेटे जारी करना प्रकट होता है।

(iii) क्या परिवादी के पक्ष में धारा 139 एन.आई.एक्ट व धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रश्नगत उपधारणा का सृजन हुआ है?

इस बिन्दु के संबंध में जैसा कि निर्णय के खंड संख्या 12 के (i) व (ii) में विवेचन किया गया है। परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अधीन अभियुक्त द्वारा विवादित चैक्स जारी करना, विहित परिसीमा में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना, अनादरण की सूचना के अन्दर मियाद नोटिस प्रेषित करवाना, अभियुक्त को नोटिस की सूचना प्राप्त हो जाने, अन्दर मियाद 15 दिन में चैक्स राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर अन्दर मियाद परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के तथ्य को प्रथम दृष्टया साबित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में परिवादी के पक्ष में उक्त उपधारणा का सृजन हुआ है।

(iv) क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है, विकल्प में क्या अभियुक्त ने विवादित चैक राशि का भुगतान परिवादी को कर दिया है?

इस बिन्दु को साबित करने का भार अभियुक्त पर था। इस संबंध में अभियुक्त/गवाह डी.ड. 1 द्वारा कथन किया गया है कि उसकी कोर्ट के सामने पंचर की दुकान है, जिस पर गिर्राज जी आते जाते थे। उसने गिर्राज से थोडे बहुत रूपयों की आवश्यकता होना बताया था, जिस पर गिर्राज ने उसे लोन दिलवाने को कहा, जिस पर उसने दो चैक, दो प्रोमेशरी नोट, आधार कार्ड की दो फोटो प्रति, पेन कार्ड की दो फोटो व स्वयं के 10 फोटो दे दिये थे। उसने लोन दिलवाने की एवज में 20 हजार रूपए भी दिये थे। काफी समय बाद भी उसे लोन नहीं मिला तब उसे बाद में पता लगा कि गिर्राज ने उसके द्वारा वर्ष 2010 में झूंठा मुकदमा कर दिया। उसने गिर्राज से कोई रूपए उधार नहीं लिये। उसने गिर्राज को दस्तावेज कोर्ट के सामने दुकान पर दिये थे। उस समय दुकान पर दो तीन व्यक्ति थे, जिसमें से इरशाद उर्फ गब्बर, रिंकू कारिगर तथा इक्का नाम का एक व्यक्ति थे।

इस गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि उसने गिर्राज को 20 हजार रूपए दिये थे। उसमें 100 और 500 के नोट थे। 100 और 500 के कितने नोट थे, उसकी ध्यान में नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है कि गिर्राज ने किस व्यक्ति को लोन दिलवाया हो। गिर्राज द्वारा लोन नहीं दिलवाने पर उसने थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई क्योंकि उसने सोचा था कि गिर्राज कोर्ट कर्मचारी है, वह रूपए वापस दे देगा। गवाह ने प्रोमेशरी नोट प्रदर्श पी–1 व 2 तथा चैक प्रदर्श पी–3 व पी–4 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने इस सलाह को गलत

बताया है कि उसने अप्रेल माह में तीन लाख रूपए उधार लिये हों तथा दोनों ही समय उसने प्रोमेशरी नोट भी लिखवाकर अपने हस्ताक्षर किये हों।

इस प्रकार अभियुक्त की ओर से आई उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से राशि उधार लेने से इंकार किया है एवं कथन किया है कि उसने अभियुक्त को प्रोमेशरी नोट व चैक्स, लोन दिलवाने के लिए दिये थे। अभियुक्त का यह भी वर्जन है कि जब उसने उक्त दस्तावेज परिवादी को दिये उस समय इरशाद उर्फ गब्बर, रिंकू कारीगर, इक्का नाम का एक व्यक्ति मौजूद था। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त की ओर से उपरोक्त कथित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ने उपस्थित होकर यह साक्ष्य नहीं दी है कि उनके समक्ष साबिर ने परिवादी गिर्राज को लोन दिलवाने के नाम पर उक्त दस्तावेज दिये हों। यहां तक कि स्वयं अभियुक्त द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा परिवादी के विरूद्ध चैक्स दुरूपयोग करने के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में न्यायालय का मत इस प्रकार है कि जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध कारित होता है तो वह सामने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही जरूर करता है परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ने परिवादी द्वारा चैक्स व प्रोमेशरी नोट का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने के कथन किये हैं तथा उसके द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो भी उक्त से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये गए हैं। अभियुक्त की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह प्रकट होता हो कि उसके द्वारा परिवादी से उधार ली गई राशि लौटा दी गई हो। इस प्रकार अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने के उपरांत अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अभियुक्त साबिर पुत्र दुलारे निवासी भगवती स्कूल के सामने, बन्दरिया का बालाजी रोड, उदेई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है।

(मिनाक्षी अमित चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन रहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई दोषसिद्धि का तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है। उसने 40,000/– रूपए अदा भी किये हैं। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये अभियुक्त को विधि अनुसार दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का दंड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1988 के माध्यम से संशोधन किया जाकर चैक्स अनादरण के कृत्य को अपराध बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 138 से 142 के रूप में अध्याय 17 जोडा गया। संशोधन की प्रस्तावना में इसके उद्वेश्य व कारणों की व्याख्या करते हुये यह अंकित किया गया है कि चैक्स स्वीकार्यता व विश्वसनियता बढाने व चैक्स अनादरण के अपराध के लिये दंड के प्रावधान करने के प्रयोजन से उक्त उप बिन्दु विधि में जोडे गये हैं, इसके बाद पुनः परक्राम्य लिखत अधिनियम 2002 के माध्यम से चैक्स अनादरण के अपराध के लिये सजा को बढाकर एक वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। इतना सब होते हुये भी देश में चैक्स अनादरण के प्रकरणों की संख्या बढती ही जा रही है। यहां तक कि सरकार को उक्त अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करना पडी है, फिर भी संशोधन का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाया है। चैक्स अनादरण के अपराध ने समाज व देश की अर्थव्यवस्था को विपरित रूप से प्रभावित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि न्यायालय आदेश दिनांकित 09.11.2020 की पालना में अभियुक्त ने दिनांक 10.08.2021 को 40,000/– रूपए अदा किये हैं। इसके साथ ही परिवादी आज न्यायालय में उपस्थित आया जिसने कथन किये हैं कि प्रकरण के विचारण के दौरान उसने कुल 1,30,000/– रूपए अभियुक्त से प्राप्त कर लिये हैं। अतः उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त साबिर पुत्र दुलारे निवासी भगवती स्कूल के सामने, बन्दरिया का बालाजी रोड, उदेई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर **2 वर्ष के साधारण कारावास** की सजा से दंडित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार **9,00,000/–**

(अक्षरे नौ लाख रूपये) बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करेगा। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त 6 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगी।

अभियुक्त के उपस्थिति बाबत पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में बितायी गयी पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में से मुजरा किया जावे। इस निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपील में उपस्थित होने के लिये धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत 20,000/– रूपये के जमानतनामा व बंध पत्र निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिये प्रवर्तन में रहेंगे।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

(मिनाक्षी अमित चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मिनाक्षी अमित चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर